

# मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 20 सितम्बर, 1995 (भाद्र 29, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एगो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन सिंह (त्योथर), कंकर मुंजारे, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के चाकघाट कस्बे में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के अनेक क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सामग्री वितरण में अनियमितता होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री कमल पटेल, डॉ. दाल सिंह बिसेन, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, प्रदेश के अनेक स्थानों में इल्ली के प्रकोप से फसलों की क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, रायपुर शहर में गैस सिलेण्डर के विस्फोट से घायल लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा न मिल पाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम रामनगर हिरवारा में विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने;

(2) श्री चिरौजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले के -

(क) ग्राम मजूरखेड़ी के पास सेमरी नदी पर स्टापडेम बनाये जाने; एवं  
(ख) नरेन डेम से निकलने वाली नहर को गहरा कराये जाने;

(3) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य, राजधानी भोपाल के तुलसी नगर स्थित शासकीय आवासों की मरम्मत कराये जाने;

(4) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बम्होरीकला से चन्देरा-जतारा मार्ग तक सड़क बनाये जाने; एवं  
(ख) ग्राम भदर्रा में सार्वजनिक नल-कूप खनन कराये जाने ;

(5) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम कल्लू बंजारी में हाई स्कूल खोले जाने; तथा

(6) श्री अमरसिंह कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम उदनखेड़ी में नल-जल योजना लागू कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 33 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 34 सन् 1995) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 31 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित  
समय  
1 घन्टा  
30 मि.  
(शेष  
30 मि.)

**6. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

(1) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

1 घन्टा  
30 मि.

(2) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

**7. प्रतिवेदन पर चर्चा**

2 घन्टे

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1985-86 तथा आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 में की गई अनुशंसाओं के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन पर चर्चा.

भोपाल :

दिनांक : 19 सितम्बर, 1995

**शीला खन्ना**

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

श्रीलाला के दिवसगाथा

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (1)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (2)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (3)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (4)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (5)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (6)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (7)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (8)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (9)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (10)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (11)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (12)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (13)

श्रीलाला के दिवसगाथा का प्रकाशन करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। (14)